तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2024	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादीया एवं वकील प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर सुना गया। वकील वादीया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है, कि तहसीलदार मनियां ने न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 13.11.2024 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके की पैमाईश करवाकर निशानात लगवाये गये है, एवं मौके की पैमाईश से दोनों पक्ष संतुष्ट एवं सहमत है। तथा भविष्य के विवादों को समाप्त करने हेतु पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करते हुए बहस हेतु निवेदन किया। तहसीलदार मनियां द्वारा प्राप्त पैमाईश रिपोर्ट का जो कि हाजा प्रकरण के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में शामिल है, को उक्त पत्रावली में निकालकर हाजा प्रकरण में शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट से तहसीलदार मनियां जिला धौलपुर ने अवगत कराया कि आराजी खसरा नम्बर 734, 737, 738, 741, 742 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर की टीम गठित कर वादीया उर्मिला एवं अन्य पडौसी खातेदार काश्तकार के समक्ष मुताबिक राजस्व नक्शा लट्टा के गुनिया की सहायता से जरीब चलाकर मुकाम कायम कर निशानात लगाये गये तथा निशानातों से उभयपक्ष ने सहमत होकर हस्ताक्षर किये। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी एवं पैमाईश रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना गया, वकील वादीया का कथन है, कि तहसीलदार मनियां द्वारा की गई पैमाईश एवं मौके पर कायम किये मुकाम हेतु लगाये गये निशानात से उभयपक्ष सहमत है, उभयपक्ष के मध्य सीमा का विवाद नहीं रहा है, और भविष्य में यह विवाद फिर नहीं उत्पन्न हो इसलिए पत्थरगढ़ी के आदेश किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि तहसीलदार मनियां द्वारा की गई पैमाईश एवं लगाये गये निशानात से उभयपक्ष सहमत एवं संतुष्ट है। उभयपक्ष के मध्य अब कोई विवाद नहीं रहा है। इसलिए हाजा प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण किया जाना चाहिए। वकील वादीया द्वारा जो पत्थरगढ़ी हेतु निवेदन किया है, प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी द्वारा उसका अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समुचित धारा में सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हाजा	

सहायक कलक्टर पूर्वी
धौलपुर (राज.)

प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट एवं वकील उभयपक्ष की बहस से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य विवादित आराजी की सीमाओं का विवाद समाप्त हो चुका है तथा उभयपक्ष पैमाईश एवं लगाये गये निशानात से संतुष्ट एवं सहमत है। उभयपक्ष की संतुष्टी एवं सहमति के कारण हाजा प्रकरण में वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी का आदेश हेतु वादीया सक्षम न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहस समुचित धारा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 734, 737, 738, 741, 742 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् पैमाइश की कार्यवाही दिनांक 13.11.2024 से उभयपक्ष सहमत एवं संतुष्ट हो चुके है। उभयपक्ष के मध्य अब कोई स्थाई निषेधाज्ञा का विवाद शेष नहीं है। इसलिए हाजा प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धौलपुर
धौलपुर (राज.)